एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

SMFG India Credit

कॉर्पोरेट कार्यालय: 10वीं मंजिल, कार्यालय सं. 101,102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई – 400051

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट) जिसका पंजीकृत कार्यालयः कॉमर्जोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरूर, चेन्नई–600116 और कॉर्पोरेट ऑफिस 10वीं मंजिल, ऑफिस नंबर 101, 102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ऋण खाता सं. 210920911261260 के तहत उधारकर्ता 1) संजीव कुमार (2) सोनिया **को** मांग सूचना दिनांक 15-04-2026 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि **रु. 20,14,290/- (रु. बीस लाख चौदह हजार दो सौ नब्बे मात्र) दिनांक 09.03.2026 तक** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4), उक्त नियमों 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **07 जुलाई 2026** को लिया है।

विशेष रूप से **उधारकर्ता** तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के प्रभार वास्ते **रु. 20,14,290/- (रु. बीस लाख चौदह हजार दो सौ नब्बे मात्र) दिनांक 09.03.2026 तक और उस पर भावी ब्याज इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

सम्पत्ति का स्वामी: संजीव कुमार

सम्पत्ति का विवरण: प्लॉट क्षेत्रफल 132.5 वर्ग गज 265 वर्ग गज में से, टी ओ डी नं. 182/3 में शामिल जोकि गॉव बोह में लाल डोरा के अंतर्गत, तहसील एवं जिला अंबाला हरियाणा में स्थित

स्थान : अम्बाला | **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी**
तिथि: 07.07.2026 | एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

फॉर्म–ए
सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड
(कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)

एफएनएम प्रॉपर्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदार के ध्यानार्थ हेतु

प्रासंगिक विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	एफएनएम प्रॉपर्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के गठन की तिथि	30-03-2015
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार गठित/पंजीकृत है	आर ओ सी दिल्ली-।
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / कॉर्पोरेट देनदार की सीमित देयता पहचान सं.	U70100DL2015PTC278535
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकरण कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	एम-56, तीसरी मंजिल, एम-ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश-2, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110048
6.	कॉर्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में दिवाला आरम्भ तिथि	08.07.2026
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया समापन होने की अनुमानित तारीख	04.01.2027
8.	अंतरिम रिज़ोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने वाले दिवालियापन पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	मनीष अग्रवाल रजिस्ट्रेशन नं. IBBI/IPA-002/IP-N00223/2017-18/10904
9.	अंतरिम रिज़ोल्यूशन प्रोफेशनल का पता और ईमेल पता जो बोर्ड के पास पंजीकृत हो	307, प्रकाश दीप बिल्डिंग, टॉलस्टॉय मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ईमेल: vmregisteredvaluer@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई-मेल	307, प्रकाश दीप बिल्डिंग, टॉलस्टॉय मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ईमेल: cirp.fnmproperty@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	22.07.2026
12.	धारा 21 के उपधारा (6ए) के खंड (बी) के तहत अंतरिम रिज़ोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई, सुनिश्चित की गई हो	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) प्रासंगिक फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है	वेबलिंक https://ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पता: 307, प्रकाश दीप बिल्डिंग, टॉलस्टॉय मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 08/07/2026 को **एफएनएम प्रॉपर्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है।

एफएनएम प्रॉपर्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को इसके द्वारा आवाह्न किया जाता है कि प्रविष्टि नं. 10 के सामने उल्लिखित पते पर अंतरिम रिज़ोल्यूशन प्रोफेशनल को 22.07.2026 तक या उससे पहले सबूत के साथ अपने दावे प्रस्तुत करें।

वित्तीय लेनदार अपने दावे प्रमाण के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सबूत के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रविष्ट नं. 12 के सामने सूचीबद्ध एक श्रेणी संबंधित एक वित्तीय लेनदार, फार्म सी ए (निर्दिष्ट वर्ग) में श्रेणी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्ट सं. 13 के खिलाफ सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल में से अधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद का संकेत देगा - लागू नहीं

दावे के झूठे या भ्रामक सबूत जमा करने से जुर्माना लगाया जाएगा।

हस्ताक्षर/–
मनीष अग्रवाल
अंतरिम रिज़ोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में नियुक्त
एफएनएम प्रॉपर्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
IBBI रजिस्ट्रेशन नं. IBBI/IPA-002/IP-N00223/2017-18/10904
एएफए वैधता 30 जून 2027 तक
ईमेल: cirp.fnmproperties@gmail.com

दिनांक: 11-07-2026
स्थान: नई दिल्ली

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारतीय ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिये ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत]

स्वदेश ग्रीन इंफ्रा लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	निगमित देनदार का नाम	स्वदेश ग्रीन इंफ्रा लिमिटेड
2.	निगमित देनदार के निगमीकरण की तिथि	31.03.2015
3.	प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत निगमित देनदार निगमीकृत / पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	निगमित देनदार की निगमित पहचान सं.	27100DL2015PLC278594
5.	निगमित देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	सी–201, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज – I, नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली–110028 बी–13, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली – 110049
6.	निगमित देनदार के संदर्भ में ऋणशोधनाक्षमता आरंभ होने की तिथि	08.07.2026 आदेश 10.07.2026 को प्राप्त हुआ
7.	ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया समापन की अनुमानित तिथि	04.01.2027
8.	अंतरिम समाधान व्यवसायी के रूप में कार्यरत् ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	**नीरज कुमार** **आईबीबीआई पंजी. सं.:** IBBI/IPA-001/IP-P-02368/2021-2022/13586
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृतानुसार, अंतरिम समाधान व्यवसायी का पता एवं ई–मेल	205, अंसल इम्पीरियल टॉवर, सी–ब्लॉक कम्युनिटी सेंटर, नारायणा विहार, नई दिल्ली–110028 **संपर्क संख्या :** +91 9818727408 **ई–मेल :** njhaandco@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान व्यवसायी के साथ पत्र–व्यवहार हेतु प्रयोग किए जाने के लिए पता एवं ई–मेल	205, अंसल इम्पीरियल टॉवर, सी–ब्लॉक कम्युनिटी सेंटर, नारायणा विहार, नई दिल्ली–110028 **ई–मेल :** cirp.swadeshgreeninfra@gmail.com
11.	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	22.07.2026
12.	अंतरिम समाधान व्यवसायी द्वारा सुनिश्चित, धारा 21 की उप–धारा (6ए) के उपवाक्य (बी) के अंतर्गत ऋणदाताओं की श्रेणियां, यदि कोई हों,	लागू नहीं
13.	एक श्रेणी के अंतर्गत ऋणदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये चिन्हित ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायियों के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिये तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) प्रासंगिक प्रपत्र एवं (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों के विवरण, यहां उपलब्ध हैं :	(क) वेबलिंक : https://ibbi.gov.in/en/home/downloads (ख) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण, नई दिल्ली न्यायालय –।।। ने 08–07–2026 को **स्वदेश ग्रीन इंफ्रा लिमिटेड** की, एक निगमित ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है **(आदेश 10–07–2026 को प्राप्त हुआ)**।

एतद्द्वारा **स्वदेश ग्रीन इंफ्रा लिमिटेड** के ऋणदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे **22–07–2026** को अथवा इससे पूर्व प्रविष्टि सं. 10 के समक्ष वर्णित पते पर अंतरिम समाधान व्यवसायी के पास, साक्ष्य के साथ अपने दावे प्रस्तुत करें।

वित्तीय ऋणदातागण अपने दावों को साक्ष्य के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा जमा करेंगे। समस्त अन्य ऋणदातागण साक्ष्य के साथ अपने दावों को व्यक्तिगत रूप में, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि संख्या 12 के समक्ष सूचीबद्ध वर्ग से संबंधित एक वित्तीय ऋणदाता, फॉर्म सीए में वर्ग [वर्ग निर्दिष्ट करें] के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 के विपरीत सूचीबद्ध तीन ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायियों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि के अपनी पसंद का संकेत देगा। वर्तमान मामले में लागू नहीं है, क्योंकि ऋणदाताओं के किसी भी वर्ग का अभिनिर्धारण नहीं किया गया है।

दावों के त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर दंडित किया जायेगा।

नीरज कुमार
अंतरिम समाधान व्यवसायी
स्वदेश ग्रीन इंफ्रा लिमिटेड
आईबीबीआई पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P-02368/2021-2022/13586
एएफए : AA1/13586/02/300627/109428 तिथि 30.06.2027 तक वैध
205, अंसल इम्पीरियल टॉवर, सी–ब्लॉक कम्युनिटी सेंटर, नारायणा विहार, दिल्ली– 110028

तिथि : 11–07–2026
स्थान : नई दिल्ली

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

UMMEED

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 2009-14, 20वीं मंजिल, टॉवर - 2, मैग्नम ग्लोबल पार्क गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर-58, गुरुग्राम (हरियाणा)-122002
CIN: U64990HR2016PTC057984

परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें] कब्ज़ा नोटिस

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते 'वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (अधिनियम, 2002 (2002 का 54)) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उधारकर्ता/ओं को मांग नोटिस जारी किया गया है, जिसमें संबंधित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है।

उक्त उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, ऋणकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वर्णित संपत्ति का **भौतिक कब्जा** निचे दी गई तिथि को ले लिया है।

एतद् द्वारा विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ लेनदेन उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए पूर्ण भुगतान तक संबंधित तिथियों से अतिरिक्त ब्याज, लागत और शुल्क सहित **उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड** के अधीन होगा।

सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं और गारंटरों, प्रतिभूतियों, बकाया देयताओं और धारा 13(2) के तहत भेजे गए डिमांड नोटिस और उसके तहत दावा की गई राशि और कब्जे की तारीख का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम और पता, सह-उधारकर्ता गारंटर ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	1. मांग सूचना दिनांक 2. भौतिक कब्जे की तिथि 3. देय राशि रुपये में.
1.	**1. सुरेन्दर कुमार पुत्र श्री राज किशन (ऋणग्रहीता)** **2. सुनीता पत्नी श्री सुरेन्दर कुमार (सह-ऋणग्रहीता) उपरोक्त दोनों निवासी** – मकान संख्या 38/4, सोदागरान मोहल्ला, शिव मंदिर के निकट, धानेसर, कुरुक्षेत्र – 136118 **ऋण खाता संख्या: LXKUR02922-230016831** **ऋण अनुबंध दिनांक: 21-मई-2022, ऋण राशि: ₹1,07,500/-**	1. 10.12.2025 2. 09.07.2026 **3. ₹ 1,25,669/- (रुपये एक लाख पच्चीस हजार छह सौ उनहत्तर मात्र) दिनांक 10.12.2025 तक तथा 11.12.2025 से आगे ब्याज एवं अन्य प्रभार सहित.**

सुरक्षित संपत्ति का विवरण :-प्लॉट संख्या 6 से सम्बंधित वाणिज्यिक संपत्ति का समस्त अंश एवं खंड, क्षेत्रफल 21 वर्ग गज अर्थात् 1 मरला, भूमि 4 कनाल 14 मरला में से 1/94 अविभाजित हिस्सेदारी, जो खेवट संख्या 527, खतौनी संख्या 709, मुरब्बा संख्या 50, किला संख्या 15 (4-14), किता 1 में सम्मिलित है, **दारा खुर्द में स्थित, मॉडल टाउन खुर्द, धानेसर, कुरुक्षेत्र, सीमाएँ: पूर्व:** गली, **पश्चिम:** प्लॉट संख्या 4, स्वामिनी श्रीमती गुरमीत कौर, **उत्तर:** प्लॉट संख्या 7, स्वामिनी श्रीमती गुरमीत कौर, **दक्षिण:** प्लॉट संख्या 5, स्वामिनी श्रीमती गुरमीत कौर

दिनांक: 11.07.2026 | **प्राधिकृत अधिकारी** श्री गौरव त्रिपाठी मोबाइल- 9650055701
स्थान: गुरुग्राम, हरियाणा | **उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लिमिटेड**

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

SMFG India Credit

कॉर्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101, 102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुरिया कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051।

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, जिसका पंजीकृत कार्यालय कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ले रोड, पोरुर, चेन्नई –600116 और कॉर्पोरेट कार्यालय 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101,102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई –400051 में है, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता(ओं) से आह्वान करते हुए **दिनांक 27 अप्रैल 2026 को मांग नोटिस जारी किया। जिसमें 1) सौरभ पुत्र विष्णु 2) सुनीता रानी, लोन अकाउंट नंबर 257701310949316 के तहत, नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के अंदर नोटिस में बताई गई रकम रुपये 71,86,024/– (इकहत्तर लाख छियासी हजार चौबीस रुपये) 07 अप्रैल 2026** तक उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

धारकर्ता(कों) द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता(कों) और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, **इस 07 जुलाई 2026** को नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से किया गया कोई भी लेन–देन **07 अप्रैल 2026 तक रुपये 71,86,024/– (इकहत्तर लाख छियासी हजार चौबीस रुपये)** की राशि और उस पर ब्याज के लिए एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के भार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

संपत्ति के मालिकः सुनीता रानी पत्नी विष्णु

संपत्ति का विवरणः 192.64 वर्ग गज क्षेत्रफल वाली संपत्ति, जिसमें हाउस टैक्स नंबर HSMCW 1200996–1200997 वाली दुकान, पुराना संपत्ति नंबर 803/13, वार्ड नंबर 12, मेन जीटी रोड, रेलवे रोड, मंडी कहन चंद के निकट, शाहबाद मारकंडा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा स्थित है। आयामः पूर्वः 18 फीट, पश्चिमः 39.6 फीट, उत्तरः 25 फीट फिर 6 फीट मुड़कर पश्चिम दिशा में 32'–6'', दक्षिणः 25 फीट फिर 15'–6'', फिर पश्चिम दिशा में 32'6''।

सीमाएंः पूर्वः सड़क, पश्चिमः सड़क, उत्तरः जगदीश की दुकान और अमरजीत सिंह का गोदाम, दक्षिणः सुखविंदर की दुकान और गोपाल दास का गोदाम।

दिनांकः 07 जुलाई, 2026 | हस्ताक्षर/– अधिकृत अधिकारी
स्थानः कुरुक्षेत्र | एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड

Protium

(पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय का पताः सातवीं मंजिल,ब्लॉक बी-2, 'फेज-।, निरलोन नॉलेज पार्क , पहाड़ी गांव, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कामा इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोरेगांव (ई), मुंबई, - 400063, महाराष्ट्र

कब्जा सूचना (धारा 13(4) के तहत और सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ परिशिष्ट IV के अनुसार)

चूंकि, नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी, प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड (पहले ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) (जिसे आगे ''प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड'' कहा जाएगा) के अधिकृत अधिकारी होने के रूप मे वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या– 54, वर्ष 2002) (सरफेसी अधिनियम) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम , 2002 के नियम 3 के साथ पठित सेक्शन 13 (2) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने **20 जून 2025 को एक डिमांड नोटिस जारी किया। यह नोटिस उधारकर्ताओं – मेसर्स ब्रिज इंजीनियरिंग और इंफ्रा टेक इसके मालिक बनवारी लाल तिवारी पुत्र मथुरा प्रसाद तिवारी और सह–उधारकर्ता 1. बनवारी लाल तिवारी पुत्र मथुरा प्रसाद तिवारी 2. साधना पत्नी बनवारी लाल तिवारी 3. कार्तिकतिवारी पुत्र बनवारी लाल तिवारी 4. जी के टाइल्स अपनी मालिक साधना पत्नी बनवारी लाल तिवारी** के माध्यम से भेजा गया। यह नोटिस लोन अकाउंट नंबर **GS064LAP2173071/GS064LAP2173123/GS064LAP2474567** के संबंध में था। इसमें कहा गया है कि वे नोटिस में बताई गई रकम **रूपये 3,55,61,067.42 (तीन करोड़ पचपन लाख इकसठ हजार सड़सठ रुपये और बयालीस पैसे)** – जो 12 जून 2025 तक की है – को आगे के ब्याज के साथ, नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुका दें।

उधारकर्ताओं रकम चुकाने मे विफल पाए हैं, इसलिए उधारकर्ताओं और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि माननीय जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केस नंबर 2238/2025 में 16 दिसंबर 2025 को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत, बताई गई जगह पर मौजूद सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने के लिए प्रोटियम के अधिकृत अधिकारी और तहसीलदार/नायब तहसीलदार को नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश का पालन 7 जुलाई 2026 को किया गयाय प्रोटियम के नियुक्त अधिकृत अधिकारी और तहसीलदार/नायब तहसीलदार ने नीचे बताई गई सुरक्षित संपत्ति/गिरवी रखी संपत्ति का भौतिक कब्जा 7 जुलाई 2026 को लिया और उसका भौतिक कब्जा प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी को सौंप दिया। इसके अलावा, प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड बकाया राशि की वसूली के लिए सार्वजनिक नीलामी के जरिए उक्त प्रॉपर्टी को बेचने की प्रक्रिया में है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी कोर्ट/ट्रिब्यूनल द्वारा कोई रोक का आदेश जारी नहीं किया गया है और प्रॉपर्टी का टाइटल साफ है और यह किसी भी तरह के कानूनी बोझ से मुक्त है। जो लोग उक्त प्रॉपर्टी में रुचि रखते हैं, वे प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा अखबार में विज्ञापन देकर नीलामी शुरू किए जाने पर उसमें भाग ले सकते हैं।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के संबंध में कोई लेन–देन न करें। संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन **प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड** के पक्ष में विद्यमान प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि **12 जून, 2025 तक रुपये 3,55,61,067.42/– (केवल तीन करोड़ पचपन लाख इकसठ हजार सड़सठ रुपये और बयालीस पैसे)** है, तथा इस पर देय आगे का ब्याज, साथ ही लागत, शुल्क एवं वहन किए गए अन्य व्यय भी देय होंगे।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति संख्या 1 : आवासीय प्लॉट संख्या 103, क्षेत्रफल 415.25 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 347 मिन से निकला हुआ, ग्राम मंट राजा बांगर, तहसील मंट, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थित।संपत्ति की सीमाएँ:–पूर्व : स्वामी की संपत्ति संख्या 102 पश्चिम : 20 फीट चौड़ा रास्ता उत्तर : निकास एवं मंट से राया रोड दक्षिण : 18 फीट चौड़ा कॉलोनी रास्ता

क्रम संख्या : 1, दिनांक रू 04/02/2022, पंजीकरण विवरण सहित दस्तावेज का विवरण रू मूल पंजीकृत उपहार विलेख दिनांक 04.02.2022, जो श्री मथुरा प्रसाद पुत्र श्री कुंदन लाल द्वारा श्री बनवारी लाल तिवारी पुत्र श्री मथुरा प्रसाद के पक्ष में निष्पादित किया गया, जो आवासीय प्लॉट संख्या 103, क्षेत्रफल 415.25 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 347 मिन से निकले हुए भूखंड के संबंध में है। दस्तावेज संख्या 1309, पुस्तक संख्या 1, वॉल्यूम संख्या 6777, पृष्ठ संख्या 217 से 228, दिनांक 04.02.2022, एसआरओः मंट। मूल / सीटीसी / फोटोकॉपी : मूल। **संपत्ति संख्या 2:** आवासीय प्लॉट संख्या 104, क्षेत्रफल 376.39 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 347मिन में से, ग्राम मंट राजा बांगर, तहसील मंट, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थित। संपत्ति की सीमाएःपूर्व : पी/ओ बी.एल. तिवारी पश्चिम : 18 फीट चौड़ा रास्ता उत्तर : 18 फीट चौड़ा रास्ता दक्षिण : 18 फीट चौड़ा रास्ता क्रम संख्याः 1 दिनांकः 17/11/2022 पंजीकरण विवरण सहित दस्तावेज का विवरणः मूल पंजीकृत उपहार विलेख दिनांक 17.11.2022, जो श्री मथुरा प्रसाद, पुत्र श्री कुंदन लाल / चंदन लाल द्वारा, श्री बनवारी लाल तिवारी, पुत्र श्री मथुरा प्रसाद के पक्ष में निष्पादित किया गया। यह आवासीय प्लॉट संख्या 104, क्षेत्रफल 376.39 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 347मिन में से, के संबंध में है। दस्तावेज संख्या 14042, पुस्तक संख्या 1, वॉल्यूम संख्या 7062, पृष्ठ 25 से 36, दिनांक 17.11.2022, एसआरओः मंट। मूल / सीटीसी / फोटोकॉपी : मूल। संपत्ति संख्या 3. आवासीय प्लॉट संख्या 102 क्षेत्रफल 455.39 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 347 मिन से, स्थित ग्राम मांट राजा बंगर, तहसील मांट, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। संपत्ति की सीमाएँ:–पूर्व :रुद्र हनुमान मंदिर पश्चिम : स्वामी की संपत्ति एवं प्लॉट संख्या 105 उत्तर : निकास एवं मांट से राया रोड दक्षिण : 18 फुट चौड़ी कॉलोनी सड़क क्रम संख्याः 1, दिनांकः 24/02/2021 दस्तावेजों में विवरण एवं पंजीकरण संबंधी जानकारीः मूल पंजीकृत उपहार विलेख दिनांक 24.02.2021, जो श्री मथुरा प्रसाद पुत्र श्री कुंदन लाल द्वारा, श्री बनवारी लाल तिवारी पुत्र श्री मथुरा प्रसाद के पक्ष में निष्पादित किया गया। यह आवासीय प्लॉट, जिसका क्षेत्रफल 455.39 वर्ग मीटर है, खसरा संख्या 347मिन से संबंधित है। दस्तावेज संख्या 2502, पुस्तक संख्या 1, वॉल्यूम संख्या 6508, पृष्ठ संख्या 211 से 232, दिनांक 24.02.2021, एसआरओः मंट। मूल / सीटीसी / फोटोकॉपी : मूल। संपत्ति संख्या 4: आवासीय प्लॉट संख्या 106, क्षेत्रफल 358.20 वर्ग मीटर (376.39 वर्ग गज), खसरा संख्या 347मिन से, स्थित ग्राम मंट राजा बांगर, तहसील मंट, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। संपत्ति की सीमाएँः– पूर्व : मथुरा प्रसाद की भूमि पश्चिम : साधना देवी की भूमि उत्तर : 18 फीट चौड़ा रास्ता दक्षिण : चक रोड क्रम संख्या : 2, दिनांक : 17/11/2012 पंजीकरण विवरण सहित दस्तावेज का विवरण रू मूल पंजीकृत उपहार विलेख दिनांक 17.11.2022, जो श्री मथुरा प्रसाद पुत्र श्री कुंदन लाल / चंदन लाल द्वारा, श्री बनवारी लाल तिवारी पुत्र श्री मथुरा प्रसाद के पक्ष में निष्पादित किया गया। यह आवासीय प्लॉट संख्या 106, क्षेत्रफल 358.20 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 347मिन से संबंधित है। दस्तावेज संख्या 14041, पुस्तक संख्या 1, वॉल्यूम संख्या 7062, पृष्ठ संख्या 13 से 24, दिनांक 17.11.2022, , एसआरओः मंट। मूल / सीटीसी / फोटोकॉपी : मूल।

कब्जे की तिथिः 07 जुलाई 2026 | हस्ताक्षर/–, प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के लिये
कब्जे का स्थानः मथुरा, उत्तर प्रदेश | अधिकृत अधिकारी

प्ररूप संख्या आईएनसी–26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में
और

मंजुला फाइनेंसेज प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईएनः U74899DL1995PTC347095)
जिसका पंजीकृत कार्यालय :**28, नजफगढ़ रोड, मोती नगर, नई दिल्ली–110015**
में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **30 जून, 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

28, नजफगढ़ रोड, मोती नगर, नई दिल्ली–110015

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
मंजुला फाइनेंसेज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
दिनेश खन्ना (निदेशक)
डीआईएन : 03298648

दिनांक : 10.07.2026
स्थान : नई दिल्ली

फॉम संख्या INC–26

[कंपनी (स्थापना) नियम, 2014 के नियम 30 के अंतर्गत]

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केंद्रीय सरकार के समक्ष (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कंपनी (स्थापना) नियम, 2014 के नियम 30(6)(a) के अंतर्गत
एवं

Hager Stone International Private Limited जिसका पंजीकृत कार्यालय निम्न पते पर स्थित हैरू 7वीं मंजिल, भ्ठ टिबन टॉवर, ब्व–वीफ्रि स्पेस, नेताजी सुभाष प्लेस, दिल्ली – 110034
.........याचिकाकर्ता

सामान्य जनता को यह सूचित किया जाता है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करती है, जिससे कंपनी के **स्मृति पत्र (Memorandum of Association)** में परिवर्तन की पुष्टि प्राप्त की जा सके।

यह परिवर्तन कंपनी की 04 जुलाई, 2026 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करना चाहती है।

यदि किसी व्यक्ति के हित इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह व्यक्ति अपने आपत्ति पत्र को शपथ–पत्र (Affidavit) सहित, जिसमें उसके हित की प्रकृति एवं आपत्ति के आधार स्पष्ट रूप से अंकित हों, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को प्रस्तुत कर सकता है।

साथ ही, उक्त आपत्ति की एक प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के निम्न पते पर भी भेजी जानी चाहिएरू

7वीं मंजिल, HB टिवन टॉवर, Co-Offiz स्पेस, नेताजी सुभाष प्लेस, दिल्ली–110034.

आवेदक की ओर से
Hagerstone International Private Limited
ध्रुव अग्रवाल
प्रबंध निदेशक
DIN:0873558

Criminal Courts, Amritsar

In The Court Of Amandeep Singh Ghuman JMIC, Amritsar Next Date: 21-07-2026
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://ecourts.gov.in NACT/3603/2024
Proclamation requiring the appearance of a person accused Detail of offence:- Police Station/Fir No. division a/0 138, of negotiable instrument act
CNR No.PBAS03-030532-2024
Sonu Bearing and steel industries Vs. sri hanuman agency
Publication Issued To: daleep kumar aggarwal: prop of sri hanuman agency 9ght0 carrying on its business at h. no 1, opposite guru nanak high school, b.k kakati road, near rasa restaurant rehabari gauwahati kamrup metropilitian (asam0 781008, m. no 9101279993)
Whereas complaint/case has been made before me that R/o has committed (or is suspected to have committed) the offence punishable under section 138, of negotiable instruments act and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said cannot be found, and whereas it has been shown to my satisfaction that the said has absconded (or is concealing himself/ herself to avoid the service of the said warrant); Proclamation is hereby made that the said is required to appear before this Court (or before me) on 21-07-2026 to answer the said complaint/ case.
JMIC, Amritsar

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

एएसके ऑटोमोटिव लिमिटेड

ASK — DRIVING SAFETY THROUGH INNOVATION

सीआईएनः L34300DL1988PLC030342
पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नंबर 104, 929/1, नाईवाला, फैज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
टेलीफोनः 011-28758433, ई-मेलः compliance@askbrake.com, वेबसाइटः www.askbrake.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो–विजुअल साधनों से आयोजित होने वाली 38वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') की सूचना

यह 7 जुलाई, 2026 के हमारे पिछले संचार के क्रम में है, जिसके तहत एएसके ऑटोमोटिव लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को सूचित किया गया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025 एवं अन्य परिपत्रों के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') (इसके पश्चात सामूहिक रूप से "परिपत्र" संदर्भित) के अनुसरण में, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 38वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार व्यवसाय करने के लिए निदेशक मंडल ने कंपनी की **38वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को 12:00 बजे अप. (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ('ओएवीएम')** की सुविधा के माध्यम से बुलाने का निर्णय लिया है।

कंपनी ने 38वीं एजीएम बुलाने का नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को उन सदस्यों को पहले ही भेज दिया है, जिनका ईमेल पता कंपनी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी') और रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') यानी एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व की लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के पास पंजीकृत है। कंपनी ने सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार पहले ही उन सदस्यों को पत्र भेज दिया है, जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है और एक सीधा वेब लिंक प्रदान किया है, जहां कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध है। एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट ***www.askbrake.com*** और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर क्रमशः ***www.bseindia.com*** और ***www.nseindia.com*** पर उपलब्ध है।

कंपनी उन सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजेगी जो ***compliance@askbrake.com*** पर कंपनी को पत्र लिखकर इसके लिए अनुरोध करते हैं, जिसमें उनके फोलियो नंबर, डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी का उल्लेख करना होगा।

एजीएम से पहले और उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देशः

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 और एमसीए परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, सदस्यों को 38वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है।

जिन सदस्यों के नाम **कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026** तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं, वे एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में मतदान करने के हकदार होंगे।

एजीएम की सूचना में निर्धारित किसी भी प्रस्ताव पर अपना वोट डालने के लिए सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की जाती है। **ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 3 अगस्त, 2026 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और गुरुवार, 06 अगस्त, 2026 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी।** इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026 को एजीएम के दौरान उन सदस्यों के लिए भी रिमोट ई-वोटिंग उपलब्ध होगी, जिन्होंने ई-वोटिंग अवधि के दौरान पहले मतदान नहीं किया था।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम के दौरान उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से फिर से अपना वोट देने के हकदार नहीं होंगे। इसके अलावा, केवल वे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे। एक बार जब सदस्य किसी प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है या सदस्य नहीं रह गया है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

कोई भी व्यक्ति, जो 38वीं एजीएम की सूचना के प्रेषण की तिथि के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह 38वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके या ***evoting@nsdl.com*** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो 38वीं एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों के अनुसार, मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।

एजीएम से पहले, एजीएम के दौरान, एजीएम में शामिल होने, ई-मेल पते का पंजीकरण, लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त करने के लिए ई-वोटिंग के विस्तृत निर्देश 38वीं एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

वोटिंग का परिणाम एजीएम के समापन से 2 कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा और इस प्रकार घोषित किए गए परिणामों को समेकित संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट ***www.askbrake.com***, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ***www.bseindia.com*** और ***www.nseindia.com*** तथा एनएसडीएल की वेबसाइट ***www.evoting.nsdl.com*** पर उनकी घोषणा के तुरंत बाद अपलोड किया जाएगा।

मेसर्स विनोद कुमार एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज के कंपनी सचिव श्री विनोद कुमार अनेजा (सदस्यता संख्या एफसीएस 5740) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

लाभांश और रिकॉर्ड तिथिः

सदस्य कृपया ध्यान दें कि निदेशक मंडल ने 19 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के रु. 2 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर रु. 1.85 (92.5%) का लाभांश देने की सिफारिश की है। यदि एजीएम में लाभांश घोषित किया जाता है, तो इसका भुगतान, स्रोत पर कर ('टीडीएस') की कटौती के अधीन, 5 सितम्बर, 2026 को या उससे पहले किया जाएगा। कंपनी ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए 31 जुलाई, 2026 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में तय किया है।

ई-वोटिंग के बारे में किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया ***www.evoting.nsdl.com*** पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) तथा e-voting user manual for Shareholders देखें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, सहायक उपाध्यक्ष, एनएसडीएल, तीसरी मंजिल, नमन चैंबर, प्लॉट सी-32, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र-400 051 से 022-4886 7000/022-2499 7000 पर संपर्क करें या ***evoting@nsdl.com*** पर अनुरोध भेजें या कंपनी के ईमेल ***compliance@askbrake.com*** पर मेल करें।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते **एएसके ऑटोमोटिव लिमिटेड**
हस्ता./-
रजनी शर्मा
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस 14391

स्थानः मानेसर, गुरुग्राम
तिथिः 10 जुलाई, 2026

पंजाब नेशनल बैंक

pnb

शाखाः– डुगरी,
अर्बन एस्टेट, डुगरी, लुधियाना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अधीन डिमांड नोटिस

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदारों और सह–कर्जदारों द्वारा बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधाएं की प्रधान राशि और ब्याज की पुनः अदायगी में चूक की है तथा कथित सुविधाओं को नॉन परफॉर्मिंग असैट्स(एनपीए) के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत बैंक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर्जदार और गारंटरों को उनके अंतिम ज्ञात पतों पर नोटिस जारी किए थे। तथापि, कुछ मामलों में नोटिस अवितरित वापिस आ गए और अन्य मामलों प्राप्तकर्ता द्वारा पावती प्राप्त नहीं की गई। इसलिए कर्जदार और गारंटरों को इस नोटिस के बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है।

संपत्ति के कर्जदार/गारंटर/भागीदार/रेहनकर्ता	संपत्ति का विवरण	नॉन परफॉर्मिंग असैट्स (एनपीए) की तिथि	डिमांड नोटिस तिथि	बकाया राशि
1. (उधारकर्ता का):– **श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह** # मकान नंबर 1206/2, गली नंबर 6, सैनी पब्लिक स्कूल के सामने, बसंत एवेन्यू, दुगरी, लुधियाना 141013. 2. **(सीओ– उधारकर्ता):– श्री परमिंदर सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह,** मकान नंबर 335, सेक्टर 15–ए, एस्कॉर्ट्स नगर, फरीदाबाद–121001. 3. (गारंटीकर्ता):– श्रीमती रमनप्रीत कौर पत्नी श्री परमिंदर सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह हाउस नंबर 335, सेक्टर 15–ए, एस्कॉर्ट्स नगर, फरीदाबाद–121001 4. (गारंटीकर्ता):– श्रीमती अमनप्रीत कौर पत्नी श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह # मकान नंबर 1206/2, गली नंबर 6, सैनी पब्लिक स्कूल के सामने, बसंत एवेन्यू, दुगरी, लुधियाना 141013. 5. (गारंटीकर्ता):– श्रीमती चरणप्रीत कौर पत्नी श्री अरविंदर सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह # मकान नंबर 1206/2, गली नंबर 6, सैनी पब्लिक स्कूल के सामने, बसंत एवेन्यू, दुगरी, लुधियाना 141013 6. (गारंटीकर्ता):– श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह # मकान नंबर 3045 चरण–2, शहरी संपत्ति, दुगरी, लुधियाना 141013. (कानूनी उत्तराधिकारी) 1. श्रीमती चरणप्रीत कौर पत्नी स्वर्गीय श्री अरविंदर सिंह (श्री अरविंदर सिंह के कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से) # मकान नंबर 1206/2, गली नंबर 6, सैनी पब्लिक स्कूल के सामने, बसंत एवेन्यू, दुगरी, लुधियाना। 141013. 2. श्री करनदीप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री अरविंदर सिंह (श्री अरविंदर सिंह के कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से) # मकान नंबर 1206/2, गली नंबर 6, सैनी पब्लिक स्कूल के सामने, बसंत एवेन्यू, दुगरी, लुधियाना। 141013. 3. दिवंगत श्री अरविंदर सिंह के कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी	रकबा 426.5 वर्ग गज माप की अचल संपत्ति का इक्विटेबल बंधक, खाता संख्या 279/311 में शामिल, खसरा संख्या 316–317 वर्ष 2001–2002 के लिए जमाबंदी के अनुसार, गांव दुगरी, आबादी प्रीत नगर तहसील और जिला लुधियाना में स्थित है, दिनांक 05/05/2005 के अनुसार बिक्री विलेख वासिका संख्या 2932 में श्री हरपाल सिंह, श्री परमिंदर सिंह और श्री अरविंदर सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह के नाम पर सीमांकित हैः– पूर्वः–पड़ोसी, पश्चिमः– गली, उत्तरः–पड़ोसी, दक्षिणः–पड़ोसी	07-12.2024	08-07.2026	01.07.2026 तक **रुपए 7,07,477.61** (सात लाख सात हजार चार सौ सतहत्तर रुपये और इकसठ पैसे)। आप इस रकम पर तय दर से भविष्य का ब्याज और साथ ही अन्य खर्च, लागत, शुल्क आदि का भुगतान करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं।

उपरोक्त कर्जदार और गारंटर (जब भी लागू हो) की सेवा को प्रतिस्थापित करने के लिए उठाए जा रहे कदम इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए एतद्द्वारा बुलाए जाते हैं, ऐसा न करने पर प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे।

अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार, इस नोटिस की प्राप्ति पर आपको बैंक की सहमति के बिना सामान्य व्यवसाय के सामान्य क्रम को छोड़कर उपरोक्त प्रतिभूतियों का निपटान करने या उनसे निपटने से रोका जाता है। कृपया ध्यान दें कि इस धारा के किसी भी उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे।

कर्जदारं/गारंटर/बंधक सभी को संबंधित शाखा से नोटिस की प्रति एकत्र करने की भी सलाह दी जाती है।

दिनांकः 10.07.2026 | स्थानः लुधियाना | प्राधिकृत अधिकारी

---

pnb Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क अचल सम्पत्ति(यों) की ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालयः–9 वीं मंजिल,अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली –110001,फोनः– 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइटः **www.pnbhousing.com**

मेरठ शाखाः– पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रथम तल, पिनाकल टॉवर, वैशाली कॉर्नर, गढ़ रोड, मेरठ–250004, (उ.प्र.)। **जनकपुरी शाखाः**– सी–2/21, प्रथम तल, माता चानन देवी रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058. **नोएडा शाखाः**– पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, भूतल, डी–2, सेक्टर–3, नोएडा (उ.प्र.)–201301

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निर्दशित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", "जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर –ए में निर्दशित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम गारंटर(S) (ए)	मांग सूचना की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पतिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/RGRN/0325/5165163, बी.ओ.: रोशनी ग्रेटर नोएडा, अश्वनी शर्मा/ शीला देवी	**10.10.2025 तक रु. 4417095**	**भौतिक कब्जा**	फ्लैट नंबर यूजीएफ 12 अपर ग्राउंड फ्लोर, टावर बी ऑर्गेनिक होम्स खसरा नंबर 5033, गांव मकनपुर इंद्रापुरम, उत्तर प्रदेश, भारत,	रु. 3845000	रु. 384500	27.07.26	रु. 10,000	13.07.26 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:00 बजे	28.07.26 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Unknown
NHL/JAN/0719/730120, बी. ओ.: जनकपुरी, जसवीर सिंह/राखी यादव	**17.12.2024 तक रु. 3476469.39**	**भौतिक कब्जा**	यूजी 17,1,एफएफ, सिग्नम 93, सेक्टर 93, गुड़गांव, हरियाणा, भारत–122001।	रु. 3099000	रु. 309900	27.07.26	रु. 10,000	13.07.26 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:00 बजे	28.07.26 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Unknown
HOU/MEE/1123/1183092, बी.ओ.: मेरठ, मोहम्मद वसीम/समर समर	**07.05.2025 तक रु. 4113029.65**	**भौतिक कब्जा**	घर का निर्माण प्लॉट नंबर ए 1, हरि बिहार कॉलोनी, मवाना कलां, परगना हस्तिनापुर, तहसील मवाना जिला, मेरठ, उत्तर प्रदेश,भारत, 250401	रु. 2875000	रु. 287500	27.07.26	रु. 10,000	13.07.26 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:00 बजे	28.07.26 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Unknown

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है। **1.** आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। **2.** संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, के संदर्भों में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक शामिल नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(स) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। **3.** कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। **4. मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरुग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट–**www.bankeauctions.com** सहायता करेंगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **मुनेंद्र कुमार/दीपक शाह/संदीप कुमार, संपर्क नंबर 1800 120 8800,**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखें।

स्थान : दिल्ली एनसीआर, दिनांक : 11.07.2026 | प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड